

फार्म वर्ष-2014 के अवल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष-2022 तक

1. अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम कुकुल सिंह
 2. उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो नगर निगम
 3. वर्तमान धारित पद उपनिरीक्षक
 4. वर्तमान वेतन निम्नानुसार
 5. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्त
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
11. ग्राम-सोमण, राहमूल - अंतांगी जिला-अजमेर संभाग-झरझर	-	90.00 विभागत	9.00 लाख	श्री सोमण सोमण (भारत)	भारत एंड फिजि एम् स्वयं ही खिद आम- से अर्जित।	50 लाख आयें अंशक	
4. ग्राम बिसापुर राहमूल - अंतांगी जिला - अजमेर संभाग - झरझर	-	72.00 विभागत	8.00 लाख	श्री देवराज सोमण (फिजि)	स्वयं ही पट्टा खिद आयें से आय तथा- वेबनिपट्टि से आय रिसे से।	40 लाख आयें अंशक	

- जहाँ लागू न हो काट दीजिए।
- ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।
- इसमें अत्यक्तवीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : यद्य शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1956 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार छ महीने की अवधि के परीक्षा या नौबत-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति अवल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर
 पदनाम उपनिरीक्षक
 नाम कुकुल सिंह
 मो. नं. 9990249919